आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

30/4/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-88/2023-24

रमेश तिर्की, ...आवेदक।

बनाम्

सुरेन्द्र उराँव, वगै० ..... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक रमेश तिर्की, पिता–स्व० गन्दुर तिर्की निवास स्थान–मिसिरगोंदा, नियर देवी मंदिर, काँके रोड, थाना–गोंदा, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षीगण (1) सुरेन्द्र उराँव, (2) निरंजन उराँव (3) रोशन उराँव सभी के पिता–स्व० गणेश उराँव वो (4) सुरेश उराँव, पिता–स्व० सुन्दर उराँव सभी का निवास स्थान–मिसिरगोंदा, पोखर कोचा, थाना–गोंदा जिला–राँची के द्वारा छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
मिसिरगोंदा	191	150	1985	15 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि के रिवीजनल सर्वे खतियान में खतियानी रैयत दुलिया उराँव, चुमना उराँव पेशरान गहना उराँव का नाम दर्ज है। आवेदक ने अपने शपथ पत्र के साथ वंशावली दाखिल किये है, इसमें कहते हैं कि गहना उराँव अपने पीछे दुलिया उराँव (नावल्द), चुमना उराँव को छोड़ गये। चुमना उराँव अपने पीछे भुगलू उराँव को छोड़ गये। भुगलू उराँव अपने पीछे गन्दुर तिर्की, फागु तिर्की, एवं मंगरा तिर्की को छोड़ गये। गन्दुर तिर्की अपने पीछे सत्यम तिर्की उर्फ दिनेश तिर्की, गणेश तिर्की एवं रमेश तिर्की (आवेदक) को छोड़ गये। फागु तिर्की अपने पीछे शंकर तिर्की एवं शम्भु तिर्की को छोड़ गये। मंगरा तिर्की अपने पीछे राजू तिर्की एवं राजन तिर्की को छोड़ गये। आवेदक रमेश तिर्की का कहना है कि वर्णित भूमि को विपक्षीगण द्वारा

कृ०पृ०उल्टे

30/4/25 भूमि को जबरन छल–प्रपंच कर हड़प लिए हैं। इसी को आधार मानते हुए कारणपृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक कहते हैं कि मेरी खतियानी जमीन को विपक्षीगण ने जबरन हड़प लिये हैं। आवेदक ने विपक्षी को कभी भी वर्णित भूमि नहीं बेचे हैं। इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी होना चाहिए। आवेदक की यह खतियानी जमीन है।

आवेदक की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये गवाह सं०–01 रमेश तिर्की, पिता–स्व० गन्दुर तिर्की अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि यह मेरी खतियानी जमीन है। आवेदक चुमना उराँव के परपोता है, तकरारी जमीन 15 डिसमिल को हमलोगों ने नहीं बेचा है। कोविड लॉकडाउन का फायदा उठाकर विपक्षीगण ने प्रश्नगत् भूमि को हड़प लिया है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि विपक्षीगण वर्ष 2020 में अवैध तरीके से कब्जा कर लिये हैं। वर्णित भूमि का अंचल रसीद मेरे दादा झुबलु उराँव के नाम से कटा हुआ है। गवाह सं०–02 बिट्टू कच्छप, पिता–भानू उराँव अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि तकरारी जमीन आवेदक की खतियानी जमीन है। जिसे विपक्षीगण ने अवैध रूप से कोविड लॉकडाउन के समय कब्जा कर लिया है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि खतियान दुलिया उराँव (नावल्द), एवं चुमना उराँव के नाम पर है, जो आवेदक के वंशज है।

विपक्षीगण को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया, तत्पश्चात् विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हुए। कारणपृच्छा दाखिल करने का आदेश हुआ। किंतु विपक्षीगण लगातार अनुपस्थित रहे। जिस कारण से दिनांक–04.10.2024 को कारणपृच्छा दाखिल करने से विपक्षी को वंचित किया गया। तत्पश्चात् आवेदक को गवाह प्रस्तुत करने का आदेश हुआ। तो विपक्षीगण पुनः उपस्थित होकर दिनांक–20.12.2024 को कारणपृच्छा से वंचित करने के आदेश का रिकॉल आवेदन दाखिल किए। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए, पुनः कारणपृच्छा दाखिल करने का आदेश दिये। इसके उपरांत विपक्षीगण ने कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया, तथा लगातार विपक्षीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात् इस वाद को बहस हेतु

कृ०पृ०उल्टे

30/4/25

रखा गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया गया है, उसमें कहते हैं कि यह मेरी खतियानी जमीन है खतियान में दुलिया उराँव व चुमना उराँव पेशरान गहना उराँव के नाम से कायमी दर्ज है। और लगान रसीद भूगलू उराँव के नाम पर जमाबन्दी कुल रकबा 08 एकड़ 52 डिसमिल कायम है। खतियान में गहना उराँव अपने पीछे दुलिया उराँव (नावल्द), चुमना उराँव को छोड़ गये। चुमना उराँव अपने पीछे भुगलू उराँव को छोड़ गये। भुगलू उराँव अपने पीछे गन्दुर तिर्की, फागु तिर्की, एवं मंगरा तिर्की को छोड़ गये। गन्दुर तिर्की अपने पीछे सत्यम तिर्की उर्फ दिनेश तिर्की, गणेश तिर्की एवं रमेश तिर्की (आवेदक) को छोड़ गये। फागु तिर्की अपने पीछे शंकर तिर्की एवं शम्भु तिर्की को छोड़ गये। मंगरा तिर्की अपने पीछे राजू तिर्की एवं राजन तिर्की को छोड़ गये। आगे कहते हैं कि मेरी खतियानी जमीन को विपक्षीगण ने गैरकानूनी तरीके से छल–प्रपंच कर हड़प लिये है। इसलिए मैंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए यह केस विपक्षीगण पर किये हैं। विपक्षीगण उपस्थित होने के पश्चात् भी न तो कारणपृच्छा दाखिल किये और न जमीन से संबंधित कोई विधिसंगत कोई भी वैध दस्तावेज दाखिल नहीं किये हैं एवं इस न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि इनके पास जमीन से संबंधित दस्तावेज नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत के परपोता है और विपक्षीगण ने 2020–21 में वर्णित भूमि पर जबरन दखल–कब्जा कर लिये हैं। इसके पश्चात् आवेदक ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर राँची के न्यायालय में धारा–144 के अंतर्गत केस किये है जिसका वाद सं०–एम० 2148/2021 है। इस वाद का निष्पादन हो चुका है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्णित भूमि आवेदक या इनके वंशजों ने नहीं बेचे हैं। विपक्षीगण न तो कभी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 के तहत् परमिशन नहीं लिया है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत आवेदक को जमीन वापस होना चाहिए, क्योंकि आवेदक

M.J.

कृ०पृ०उल्टे

30/4/25 की प्रश्नगत् भूमि खतियानी है।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने तथा कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह आवेदक की खतियानी जमीन है तथा विपक्षी न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् भी अपने पक्ष में किसी भी तरह का दस्तावेज दाखिल नहीं किये हैं। अतः विपक्षीगण को वर्णित भूमि से बेदखल करते हुए, आवेदक को जमीन वापस किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वर्णित भूमि पर यदि कोई संरचना है तो उसे 03 (तीन) माह के अन्दर हटा लेना सुनिश्चित करें।

तदानुसार अंचल अधिकारी, हेहल को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Mir 30/4/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Mir 30/4/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 138 (ii) **दिनांकः–** 03/05/25

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, हेहल, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

Mir 3/05/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.06.04 16:58:55 +05:30
Location: 192.168.164.39